# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, E-mail -msamund.cg@nic.in

/ / आदेश / /

क्रमांक / 1000 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 19 / 11 / 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 906 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020 के द्वारा **ग्राम अंतर्ला, तहसील सरायपाली,** जिला महासमुन्द (छ.ग.) में कोरोना वायरस (कोविड–19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।

02) उपरोक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद द्वारा पत्र क्रमांक / कोविड–19 / 2020 / 3645 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार- कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. / 2020 / 796 / पीए नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के संबंध में घोषित कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिवस तक सतत् निगरानी पश्चात् संक्रमण की रोकथाम का आकलन कर एवं सक्रिय प्रकरण 14 दिन तक शून्य रहने पर उक्त क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के निर्देश हैं। ग्राम अंतर्ला, तहसील सरायपाली में घोषित कंटेनमेंट जोन के 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस के धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 30 लोगो का सैम्पल जांच नकारात्मक प्राप्त हुआ है, एवं सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड–19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नही हुआ है। "

03) अतएव उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 906 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020 के द्वारा **ग्राम अंतर्ला, तहसील सरायपाली,** जिला महासमुन्द (छ.ग.) में घोषित कंटेनमेंट जोन को एतदद्वारा मुक्त करते हुए, उक्त आदेश प्रभावहीन किया जाता है।

04) यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
(जिला दण्डा. महो. द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1000 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 19 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर, सरायपाली को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क, महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)